

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 258/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 21.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयी:-

01-थाना सरायमीर : किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.06.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना सरायमीर पर प्रा0पत्र दिया कि वादी की लडकी दिनांक 17/06/2024 को दिन मे घर से लाहीडीह बाजार कपड़ा खरीदने के लिए गयी और घर वापस नही आयी, आस-पास और रिस्तेदारी मे पता किया तो वहां पर भी कुछ पता नही चला तथा उसका मोबाइल फोन भी बन्द आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 368/24 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त विजय कुमार उर्फ पप्पू पुत्र सुदामा ग्राम मलसिल पो0मेहदी जौनपुर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 18.08.2024 को उक्त किशोरी को बरामद कर उपरोक्त मुकदमे में धारा 366 की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 21.08.2024 को व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त विजय कुमार उर्फ पप्पू पुत्र सुदामा ग्राम मलसिल पो0मेहदी जौनपुर को खपड़ागांव से समय करीब 10:50 बजे गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाले टीम- व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार, का0 मुन्दन कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़।



02-थाना अहरौला : 04 प्रतिबन्धित पशु व पिकप वाहन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पशुओं की तस्करी व क्रूरता पूर्वक रखने पर रोक लगाये जाने तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2024 को उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह मय ने अभियुक्त कटारी नोना S/O राजाराम R/O मोतीपैर कस्बा माहुल थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को निजामपुर से 04 प्रतिबन्धित पशु व 01 पिकप वाहन के साथ समय करीब 02:30 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया। तथा मौके से कुछ लोग फारार हो गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 367/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवा0 अधिनियम पंजीकृत गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह, उ0नि0 रंजन कुमार साव, हे0का0 दिनेश कुमार यादव, का0 सुनील कुमार थाना अहरौला आजमगढ़ ।



03-थाना- मेंहनगर : जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त अवैध तमंचा-कारतूस व सहयोगी संग गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादी मुकदमा मोलू यादव पुत्र शिव मुरत यादव ग्राम समसुदीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेंहनगर पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 16.08.24 की शाम को वादी और मयंक यादव उर्फ मण्टू पुत्र शोभनाथ यादव पता समसुदीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के साथ शेखुपुर चट्टी पर गया था जहां पर 1- दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव व 2- जग्गी यादव पुत्र चन्द्रबली यादव व 3- विनय यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र छांगुर यादव समस्त निवासी शेखुपुर पोस्ट रसुलपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ व 4- अभय राय पुत्र संतोष राय ग्राम गहुनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, शेखुपुर चट्टी पर आए और पुरानी रंजीश को लेकर वादी और उसके साथी मयंक को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगे वादी ने मना किया तो दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव ने वादी के उपर कट्टे से फायर कर दिया जिससे वादी के हाथ और कमर में गोली लग जिसके सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 327 धारा 109/352/351(2) BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 21.08.2024 को व0उ0नि0 विरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1- दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव ग्राम शेखुपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ तथा 2- धर्मेन्द्र उर्फ छोटई यादव रामअधार यादव निवासी तियरी सग्राम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को अक्षैबर पुलिया गौरा से समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ छोटई के कब्जे से 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 333/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव ग्राम शेखुपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़
2. धर्मेन्द्र उर्फ छोटई यादव रामअधार यादव निवासी तियरी सग्राम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 327 धारा 109/352/351(2)/3(5)/61(2) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 333 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

धर्मेन्द्र उर्फ छोटई यादव

1. मु0अ0सं0 22/2015 धारा 302 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 128/2017 धारा 147/386/506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 206/2017 धारा 392 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 266/2017 धारा 307 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 268/2017 धारा 41/411/420/467/468 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 24/2019 धारा 147/148/323/352/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 03/2020 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 25/2020 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 281/2023 धारा 304/308/323/325/452/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 169/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 327/24 धारा 109/352/351(2)/3(5)/61(2) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 333/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 विरेन्द्र यादव, का0 उदयभान गुप्ता, का0 सत्यम सिंह, का0 राजन गौड़, का0 अभिषेक यादव, का0 बिजेन्द्र धुसिया थाना मेंहनगर, आजमगढ़।



04-थाना सिधारी : अवैध तमन्चा-कारतूस, चोरी के चार पहिया वाहन (बोलेरो) व 01 प्रतिबन्धित पशु के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा चोरी, पशुओं की तस्करी, अवैध असलहा रखने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2024 को व0उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह द्वारा सैयद बाबा के मजार (चकविन्दा) के पास से अभियुक्त सलमान पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर छिंही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से चोरी की 01 बोलेरो, 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 प्रतिबन्धित पशु बरामद हुए तथा दो व्यक्ति मौके से भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 1-मु0अ0सं0- 311/24 धारा 35(a)/317(2) BNS व 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम बनाम 1.सलमान पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर छिंही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ 2. जावेद पुत्र मोलई सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ 3. सुहेल पुत्र अज्ञात सा0 जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ व 2-मु0अ0सं0 312/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सलमान पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर छिंही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ के पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ग्राम पाण्डेपुर थाना सिधारी से एक भैंस व उसका बच्चा चोरी किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 306/24 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0 311/24 धारा 35(a)/317(2) BNS व 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0 312/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सलमान पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर छिंही थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0- 120/22 धारा 354(र)/504/506 भादवि थाना बिलरियागंज
- 2.मु0अ0सं0- 122/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बिलरियागंज
- 3.मु0अ0सं0- 293/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज
- 4.मु0अ0सं0- 87/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज
- 5.मु0अ0सं0- 266/17 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जहानागंज
- 6.मु0अ0सं0- 318/11 धारा 406/419/420 भादवि थाना बिलरियागंज
7. मु0अ0सं0 311/24 धारा 35(a)/317(2) BNS व 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना सिधारी
- 8.मु0अ0सं0 312/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी
9. मु0अ0सं0- 306/24 धारा 305 बीएनएस थाना सिधारी

बरामदगी- 01 बोलेरो, 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 प्रतिबन्धित पशु गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 भगत सिंह, उ0नि0 राजबिहारी सिंह, हे0का0 देवाश्रय यादव, कां0 विक्की कुमार, कां0 नन्दलाल, कां0 गौरव जायसवाल, कां0 सत्यप्रकाश यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

